सं. 804/183/2012-बीसी-III

भारत सरकार

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

दिनांक : 15 अक्टूबर, 2012

एडवाइजरी

जबकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ध्यान में आया है कि बहुत से एफएम रेडियो चैनलों पर अक्सर अभद्र और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है। यह भी नोट किया गया है कि बहुत से रेडियो जोकी द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा अश्लील और अपमानजनक होती है। वे अक्सर निन्दात्मक और अपमानजनक टिप्पणी, विशेष रूप से रात्रि में करते है, जो सुरुचिपूर्ण नहीं दिखती।

जबकि अनुमति प्रदान करने संबंधी करार (जीओपीए) के खंड 7.6, जिसके द्वारा एफएम रेडियो चैनल चलाने की अनुमति दी जाती है, में प्रावधान है कि अनुमति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके प्रसारण चैनल में प्रसारित कोई सामग्री, संदेश, विज्ञापन या संप्रेषण आपत्तिजनक, अश्लील, अनधिकृत या भारतीय कानूनों के असंगत नहीं है।

जबकि जीओपीए का खंड 11.2 प्रावधान करता है कि अनुमति धारक उन्हीं कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का अनुपालन करेगा जैसाकि आकाशवाणी द्वारा अनुपालन किया जाता है, जो निम्नलिखित को निषिद्ध करते हैं :

(i) मित्र देशों की आलोचना।

(ii) समुदायों के धर्म पर आक्रमण।

(iii) कुछ भी अश्लील या अपमानजनक।

(iv) हिंसा भड़काना या कोई बात जो कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाधक हो या संविधान के प्रति निरादर दर्शाना।

(v) कुछ भी जो न्यायालय की मानहानि करता हो।

(vi) राष्ट्रपति, राज्यपालों और न्यायापालिका की सत्यनिष्ठा के विरूद्ध निंदा।

(vii) किसी राजनीतिक दल का नाम लेकर हमला।

(viii) किसी राज्य या केन्द्र की प्रतिकूल आलोचना।

(ix) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष/राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए या प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़, भूकम्प या चक्रवात के मामले को छोड़कर कोष के लिए अपील करना।

(x) किसी व्यक्ति का संगठन के लिए या उसकी ओर से सीधा-प्रचार जिससे केवल उस व्यक्ति या संगठन का लाभ होने की संभावना हो।

(xi) प्रसारण में व्यापार नाम जो सीधे विज्ञापन है (वाणिज्यिक सेवा में छोड़कर)।

जबकि इस किस्म की सामग्री प्रसारित करना एफएम रेडियो चैनलों द्वारा अपने चैनल चलाने के लिए हस्ताक्षरित अनुमति प्रदान करने संबंधी करार (जीओपीए) के खंड 7.6 और 11.2 का घोर उल्लंघन है।

और जबकि एफएम चैनलों द्वारा हस्ताक्षरित अनुमति प्रदान करने संबंधी करार (जीओपीए) के खंड 25.3.1 के अनुसार अनुमति धारक द्वारा अनुमति के किन्हीं निबंधन और शर्तों या एफएम रेडियो नीति के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन की दशा में अनुमति दाता को अनुमति के निलंबन करने और उसमें यथा विनिर्धारित प्रसारण का निषेध करने का अधिकार होगा।

अब, इसलिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुमति प्रदान करने संबंधी करार (जीओपीए) से मिलने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सभी एफएम रेडियो चैनलों को सलाह देता है कि उसमें विनिर्धारित निबंधन और शर्तों का कड़ाई से पालन करें और उसके उल्लंघन में कोई सामग्री प्रसारित न करे। चैनल को विवेक का प्रयोग करना चाहिए और ऐसी सामग्री के प्रसारण को रोकना चाहिए।

सभी एफएम रेडियो चैनलों द्वारा उपर्युक्त निदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी उल्लंघन के लिए अनुमति प्रदान करने संबंधी करार (जीओपीए) में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार यथा ठीक मानी गई आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ह./

(नीति सरकार)

निदेशक (बीसी)

सभी एफएम रेडियो चैनल

प्रतिलिपि प्रेषित : -

श्री उदय चावला, महासचिव, भारतीय रेडियो संगठन संघ (एआरओआई)
सी-1759, प्रथम तल, पालम विहार, गुड़गांव-122017
(फैक्स - 0124 - 4385887)
(अनुरोध है कि सभी एफएम चैनलों को आवश्यक अनुदेश किए जाएं)